संख्या 3093 / II–2010–03(02) / 2010

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग — देहरादून : दिनांक 10 दिसम्बर, 2010

विषयः आयोजनेत्तर मद के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में पुनर्विनियोग का प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रसंख्या 3832 / मु0अ0वि0 / वि0नि0 / सी–2डी, अधि0 दिनांक 28.10.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके प्रस्ताव के अनुसार संलग्न बी0एम–15 के विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों से वित्तीय वर्ष 2010–11 में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 15.00 लाख (₹ पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उसी योजना मद के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं शासन द्वारा मितव्ययता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0 31.03.2011 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–20 के आयोजनेत्तर मद में संलग्न बी0एम0–15 के स्तम्भ–5 मे उल्लिखित लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा स्तम्भ–1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 600 / XXVII-2/2010 दि0– 03 दिसम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्नः यथोक्त

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव

संख्या 3093(1) / II–2010–03(02) / 2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन ।
4. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय ।
5. जिलाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

संलग्नः यथोक्त

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव।

प्रपत्र–बी0एम–15

अनुदान संख्या–20
आयोजनेत्तर

नियन्त्रण अधिकारी मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
प्रशासनिक विभाग: सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन।
वित्तीय वर्ष 2010–11

(धनराशि हजार ₹ में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवषेश सरप्लस धनराशि	स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि सहित लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 की अवषेश धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2700–मुख्य सिंचाई 00–आयोजनेत्तर 001–निदेशन तथा प्रशासन 04–कार्यकारी अधिष्ठान 04–यात्रा व्यय 120602	4365	5635	110602	2700–मुख्य सिंचाई 00–आयोजनेत्तर 001–निदेशन तथा प्रशासन 04–कार्यकारी अधिष्ठान 16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 900 1500	2400	119102	उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग तथा उत्तराखण्ड, सिंचाई विभाग के मध्य परिसम्पत्तियों के विभाजन हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से पैरवी हेतु नामित अधिवक्ता गण में से श्री हरीश साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्ता को फीस का भुगतान किये जाने हेतु ₹ 15.00 लाख की आवश्यकता है। अतः तद्नुसार पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया जा रहा है।
योग 120602	4365	5635	110602	900 1500	2400	119102	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150–156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं योजनाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–2
यू0ओ0 सं0– 600 / (ए) / XXVII(2) / 2010
देहरादूनः दिनांक 03 दिसम्बर, 2010

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव, वित्त

महालेखाकार, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सं0 3093(A) II–2010–03(02) / 2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव।

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\D Ravat Doc\Reappropriation.doc